



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 08 दिसम्बर, 2024

CRACKDOWN BULANDSHAHR

थाना जहांगीरपुर

मात्र 06 घंटे के अन्दर 02 वर्ष की मासूम से दुष्कर्म की घटना में वांछित अपराधी मुठभेड़ के दौरान घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व चोरी की बाइक बरामद।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 07/08.12.2024 को थाना जहांगीरपुर पुलिस एक अभिसूचना के आधार पर परौरी नहर चौराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग कर रही थी उसी समय एक बाइक पर संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसको रूकने का इशारा किया गया तो नही रुका बल्कि बाइक को तेजी से लेकर नहर पटरी की तरफ भागने लगा। जिसपर पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा किया गया तो कुछ दूरी पर चांचली जवां पुल के पास बदमाश की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गयी। बदमाश द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जिसको गिरफ्तार किया गया। **गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान कल्लू पुत्र हरचंदी निवासी ग्राम बागपुर थाना चांट जनपद पलवल, हरियाणा के रूप में हुई हैं।** घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा व कारतूस व चोरी की बाइक बरामद हुई हैं। उल्लेखनीय है कि बदमाश कल्लू द्वारा दिनांक 07.12.2024 को थाना जहांगीरपुर क्षेत्रान्तर्गत 02 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। जिसके सम्बंध में थाना जहांगीरपुर पर मुअसं-103/24 धारा 64(2)(च)(झ)(ठ), 65(2) बीएनएस व 5एम/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत है जिसमें उक्त आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- कल्लू पुत्र हरचंदी निवासी मौ0 ग्राम बागपुर थाना चांट जनपद पलवल, हरियाणा।

बरामदगी-

- 1- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।
- 2- 01 काले रंग की स्प्लेण्डर बाइक (चोरी की)।

अभियुक्त कल्लू का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-139/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चोला जनपद बुलन्दशहर।
- 2- मुअसं-103/24 धारा 64(2)(च)(झ)(ठ), 65(2) बीएनएस व 5एम/6 पोक्सो एक्ट थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर।
- 3- मुअसं-104/24 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जहांगीरपुर पर अग्रिम वैधानिक कार्यावाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जायेगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री अमित कुमार सिंह थाना प्रभारी जहांगीरपुर।
- 2- उ0नि0 राजकुमार मिश्रा, उ0नि0 दुर्वेश कुमार
- 3- है0का0 सतीश कुमार, है0का0 अर्जुन सिंह, का0 देवेन्द्र शर्मा, का0 रवि कुमार।



मीडिया सेल बुलंदशहर